स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सबका साथ - सबका विकास

फसल अवशेष खेतों में न जलायें

बल्कि बायो कोल, बायो सीएनजी और बायो खाद बनाकर अतिरिक्त आय पाएं।

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा फसल अवशेष जलाना दण्डनीय घोषित

किसान भाइयों,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए खेतों में फसल अवशेष जलाने पर प्रति घटना किसानों को अर्थदण्ड के निम्न निर्देश दिये हैं:–

- कृषि भूमि क्षेत्र 02 एकड़ से कम होने की दशा में अर्थदण्ड ₹2500/- प्रति घटना।
- कृषि भूमि क्षेत्र 02 एकड़ से अधिक किन्तु 05 एकड़ तक होने की दशा में अर्थदण्ड ₹5000/- प्रति घटना।
- कृषि भूमि क्षेत्र 05 एकड़ से अधिक होने की दशा में अर्थदण्ड ₹15000/- प्रति घटना।
- खेतों में फसल अवशेष जलाने की लगातार दो घटनाओं की दशा में कृषक को सरकारी सुविधा देने पर प्रतिबन्ध।
- प्रदेश में फसलों की कटाई के लिए कम्बाईन के साथ स्ट्रारीपर या रीपर कम बाइन्डर का प्रयोग।
- बिना रीपर मशीन के कम्बाईन मशीन का प्रयोग करने पर सिविल दायित्व भी निर्धारण का प्राविधान।
- फसल अवशेष कदापि न जलायें बल्कि उन्हें खेत में पलटकर खाद बनायें साथ ही उ.प्र. राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, पंचम तल, योजना भवन, लखनऊ या अपने जिलों के कृषि विभाग के कार्यालय से सम्पर्क कर शासन की अनुमन्य सहायता प्राप्त करके बायोकोल एवं बायो सी.एन.जी. उत्पादन संयत्र लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त करें।

किसान भाईयों की समस्याओं के निराकरण हेतु
कॉल सेन्टर का टोल फ्री नं० ☎ 1800-180-1551

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश